



2652
10/4/08

असंशोधित

28 MAR 2008

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

(भाग 2-कार्यवाही-प्रश्नोत्तर रहित)

प्रतिवेदन शाखा

नं० स० प्र० सं० ७४३ तिथि १०/०४/०८

39.

क्रम संख्या:-१० श्री प्रदीप कुमार

श्री प्रदीप कुमार:-अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि:

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा नवादा जिला को सिर्फ ८ मेगावाट विद्युत की आपूर्ति की जाती है जिसे बढ़ाकर २४ चौबीस मेगावाट आवंटित करें।"

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री:-महोदय, निकट भविष्य में अप्रैल मई महीने में उपलब्धता में वृद्धि होने की संभावना है, तो नवादा को निश्चित रूप से आवंटन देने में प्राथमिकता दी जायगी, इसलिए माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूँ कि वे अपना प्रस्ताव वापस ले लें।

अध्यक्ष:- क्या माननीय सदस्य श्री प्रदीप जी, अपना प्रस्ताव वापस लेंगे।

श्री प्रदीप कुमार:-अध्यक्ष महोदय, नवादा जिला के बगल में शेखपुरा जिला है, नालंदा जिला है, शेखपुरा जिला में मात्र दो विधान सभा है, वहाँ ९ मेगावाट बिजली मिलती है, नवादा में पाँच विधान सभा क्षेत्र है फिर भी वहाँ ८ ही मेगावाट बिजली मिलती है, अभी कुछ तो तत्काल बढ़ा दिया जाय, फिर आगे भविष्य में देखा जायेगा, माननीय मंत्री जी आश्वासन दें।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री:-मैंने कहा महोदय कि अप्रैल में संभावना है, उत्पादन बढ़ने वाला है, हम कंसीडर करेंगे।

अध्यक्ष:- क्या माननीय सदस्य श्री प्रदीप जी, आप अपने प्रस्ताव को वापस लेंगे।

श्री प्रदीप कुमार:-महोदय, मंत्री जी के आश्वासन के आलोक में अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ।

अध्यक्ष:- सदन की सहमति से श्री प्रदीप कुमार जी का प्रस्ताव वापस हुआ।